मैसर्स शंकर सिंह दफौटी ग्राम बन्तोली तहसील व जनपद बागेश्वर द्वारा बिन्तोली सोप स्टोन माईनिंग प्रोजैक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07.06.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स शंकर सिंह दफौटी ग्राम बन्तोली तहसील व जनपद बागेश्वर द्वारा बिन्तोली सोप स्टोन माईनिंग प्रोजैक्ट के उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (8.885 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं दैनिक जागरण में दिनांक 04.05.2023 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 07.06.2023 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2023 को 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम बन्तोली तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स ईको पर्यावरण लैब्रोट्रीज एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0 लि0 के श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही कई स्थलों पर माईनिंग हो रही है इसलिए ग्रामीण सोप स्टोन की माईनिंग से भली–भाँति परिचित हैं। परियोजना प्रस्तावक श्री शंकर सिंह दफौटी द्वारा वर्ष, 16–17 में ग्राम बन्तोली अन्तर्गत खड़िया खनन हेतु आवेदन किया गया था। जिसमें तहसील स्तर से शासन स्तर तक की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वर्ष,2021–22 में शासन से खनन हेतु आशय निर्गत हुआ है जिसमें वर्तमान में पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। खनन बी–2 श्रेणी के अन्तर्गत होने से पर्यावरणीय नियमों के तहत जनसुनवाई की जा रही है तथा अवगत कराया गया कि माईनिंग/खनन समयान्तर्गत देश/प्रदेश के राजस्व के दृष्टिगत पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचाते हुए अति महत्वपूर्ण हैं तदोपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना से प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले खनिज का विवरण से अवगत कराया गया तथा स्पष्ट किया गया कि खनन उपरान्त पिटों को मिट्टी से भरकर समतल कर सीढ़ीदार

क्रमशः–2

खेत बनाये जायेंगे। खनन क्षेत्रान्तर्गत धूल के कणों से बचाव हेतु पानी के छिड़काव की व्यवस्था है तथा जिन रास्तों का उपयोग खनिज के परिवहन में किया जायेगा उनके क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल पुर्ननिर्माण की व्यवस्था की गयी है। प्रस्तावित परियोजना में खनन उपरान्त प्रत्येक 6 महीनें में खनन क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जायेगी तथा बैंच के रूप में खनन कार्य किया जायेगा ताकि भू–स्खलन की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। माईनिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को फर्स्ट एड का प्राविधान किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर मौके पर ही संबंधित श्रमिक का फर्स्ट एड कर उसको सकुशल नजदीकी अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

1. श्री शंकर सिंह दफौटी ग्राम सिमतोली बागेश्वर – श्री दफौटी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बिन्तोली अन्तर्गत जिस भूमि में खनन पट्टा प्रस्तावित है उस भूमि में वह भी हिस्सेदार हैं खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त ग्राम बिन्तोली के काश्तकारों की भूमि में खनन कार्य किया जायेगा तथा पृच्छा की गयी कि क्या खनन उपरान्त खेत बनाये जायेगे अथवा नहीं ? पूर्व में क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे जिनमें वर्तमान समय में खनन कार्य चल रहा है के पट्टाधारकों द्वारा खनन उपरान्त खेतों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार श्री भुवन जोशी द्वारा स्पष्ट किया गया कि भूमि पर खनन उपरान्त खेत बनाये जाने का प्राविधान है यदि किसी पट्टाधारक द्वारा खनन उपरान्त खेतों का निर्माण नहीं किया जाता है तो इसकी शिकायत सक्षम स्तर यथा जिलाधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूमि संरक्षण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार एवं एन0जी0टी0 में की जा सकती है।

2. श्री बलवन्त सिंह दफौटी ग्राम सिमतोली बागेश्वर– सर्वप्रथम श्री बलवन्त सिंह द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगणों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुये परियोजना प्रस्तावक को क्षेत्रान्तर्गत खनन परियोजना प्रस्तावित किये जाने हेतु बधाई देते हुए अवगत कराया गया कि वह दिल्ली में सर्विस करते हैं एवं वर्तमान में गांव आये हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से काश्तकारी पूर्ण रूप से प्रभावित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है पलायन पर रोक लगाने हेतु सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा तथा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना के स्थापित होने से रोजगार के दृष्टिगत यदि बाहर से कितने भी लोग क्यों न आ जाये परन्तु प्राथमिकता स्थानीय लोगों को ही मिलनी चाहिए। परियोजना प्रस्तावक के खनन पट्टे को शासन द्वारा यहां तक पहुंचाया है तो हमें भी परियोजना प्रस्तावक को खनन इकाई स्थापित किये जाने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

3. श्री प्रवीण सिंह दफौटी ग्राम सिमतोली बागेश्वर– सर्वप्रथम श्री दफौटी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुये परियोजना प्रस्तावक को क्षेत्रान्तर्गत खनन परियोजना प्रस्तावित किये जाने हेतु बधाई देते हुए अवगत कराया

क्रमशः–3

गया कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि परियोजना प्रस्तावक के अथक प्रयासों से आज खनन इकाई स्थापित होने जा रही है। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही बाहरी लोगों द्वारा कई खनन इकाईयां स्थापित की गयी है परन्तु उनके द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं, पर्यावरण आदि को नजर अन्दाज किया जाता रहा है। परियोजना प्रस्तावक श्री शंकर सिंह दफौटी एक स्थानीय एवं पूर्व से ही सामाजिक व्यक्ति हैं हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि वह स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं व पर्यावरण को संरक्षित एवं खनन निमयों का पालन करते हुए वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को पुनः खनन इकाई स्थापित किये जाने हेतु अपनी शुभकामनाएं दी गयीं।

4. श्री गुलाब सिंह दफौटी ग्राम सिमतोली बागेश्वर– श्री गुलाब सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के पर्यावरण सलाहकार श्री भुवन जोशी द्वारा परियोजना के संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण के संबंध में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा उसको अच्छी तरह से समझ लिया गया होगा। परियोजना प्रस्तावक क्षेत्रान्तर्गत खनन इकाई स्थापित करने हेतु बधाई के पात्र हैं। हम सभी को मिलकर इस कार्य हेतु परियोजना प्रस्तावक को सहयोग किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है हम सब के सहयोग से ही वह आगे बढ़ सकता है। खनन से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और पर्यावरण विभाग को भी नहीं होनी चाहिए। परियोजना प्रस्तावक एक स्थानीय व समाजिक व्यक्ति हैं जो पूर्व से ही ग्रामीणों के दुख सुख में साथ देते हैं।

5. श्री रमेश चन्दोला ग्राम बिन्तोली बागेश्वर– सर्वप्रथम श्री चन्दोला द्वारा सभी का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि यह बड़े ही हर्ष व प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच से एक स्थानीय युवा खनन के व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से हो रहे अवैज्ञानिक खनन कार्यों से दुख होता है परन्तु हमें परियोजना प्रस्तावक पर पूर्ण विश्वास है कि वह खनन कार्य को खनन नियम के भीतर पूर्ण वैज्ञानिक विधि से करेंगे। परियोजना प्रस्तावक एक स्थानीय व सामाजिक व्यक्ति हैं हमे उनके खनन कार्य करने से कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से गांव का विकास होगा। परियोजना प्रस्तावक श्री शंकर दफौटी से अनुरोध है कि वह जल्थाकोट से मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में अपने स्तर से पैरवी कराते हुए यथाशीघ्र मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करायेंगे ताकि गांव का विकास हो सके तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः परियोजना प्रस्तावक को बहुत–बहुत बधाई दी गयी।

6. श्रीमती नीमा दफौटी ग्राम सिमतोली बागेश्वर– श्रीमती नीमा दफौटी द्वारा अवगत कराया गया कि यह बड़े ही हर्ष व प्रसन्नता का दिन है कि परियोजना प्रस्तावक को दीर्घ समय बाद सफलता प्राप्त हुई है। खनन से सम्भवतः नुकसान होता है परन्तु उस नुकसान को कम करने के लिए खनन उपरान्त सीढ़ीदार खेत बनाकर उसमें दीर्घ आयु वाले वृक्षों को लगाया जाय, खनन नियमों का अनुपालन करते हुए वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य किया जाय। दफौट क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से कई स्थानों पर खनन का कार्य चल रहा है। जानवरों के आतंक के कारण काश्तकारों अपने भूमि में काश्तकारी नहीं कर पा रहे हैं। जंगली जानवर (भरा) खेती को कम से कम नुकसान कर पाये जिसके लिए चाहिए कि गांव की सरहद में तार–बाढ़ की जाय।

7. श्री के0सी0 चन्दोला ग्राम बिन्तोली बागेश्वर– श्री चन्दोला द्वारा अवगत कराया गया कि यह बड़े ही हर्ष व प्रसन्नता का दिन है दीर्घ समय से हम सभी इसी दिन का

क्रमशः– 4

8. इन्तजार कर रहे थे। परियोजना प्रस्तावक एक स्थानीय व सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन पर हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि वह मानवीय संवेदनओं का ख्याल रखते व ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेते हुए ही परियोजना को आगे बढ़ायेंगे।

9. श्री शंकर सिंह दफौटी परियोजना प्रस्तावक– सर्वप्रथम परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता के रहे अपर जिलाधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्र0नि0बोर्ड, कर्मचारीगण एवं जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामीणों का स्वागत व हार्दिक अभिनन्दन करते हुए स्पष्ट किया गया कि क्षेत्र के बुजुर्गों एवं ग्रामीणों द्वारा उन पर जो विश्वास किया गया है, वह उस पर खरा उतरेंगे। मैं ग्रामीणों के हर सुख–दुख में उनके साथ हूँ। पर्यावरण के अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तथा स्पष्ट किया गया कि व खनन कार्य पर्यावरण को संरक्षित कर, खनन नियमों का अनुपालन करते हुए पूर्ण वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य करेंगे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए कहा गया कि परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया जा चुका है। ग्रामीणों द्वारा परियोजना प्रस्तावक पर जो विश्वास किया है वह उसको कायम रखेंगे। जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं परियोजना के संबंध में प्राप्त सुझावों को नोट कर लिया गया है। यह खनन का पुराना क्षेत्र है जिससे सभी भिज्ञ हैं तथा स्पष्ट किया गया कि खनन व पर्यावरण एक दूसरे के विपरीत हैं परन्तु खनन निमयों के अनुपालन कर वैज्ञानिक विधि से खनन करने से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। खनन से जहां एक ओर ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ होती है वही प्रदेश व देश का भी विकास होता है। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील प्रतीत होते हैं। भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है जिस हेतु चौड़ी पत्तीदार के वृक्ष लगाने एवं चैमडैम बनाये जाने आवश्यक हैं। वर्तमान में बागेश्वर की सरयू नदी में पानी कम हो रहा है जो भविष्य के दृष्टिगत दुखदायी है। परियोजना के स्थापित होने से सम्भवतः स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा रोजगार के साधन कम होने पर पलायन होगा जिस हेतु ग्रामीण स्वावलम्बी बन स्वंय भी खेती कर सकते हैं जिसमें कीवी व पॉलीहाउस के माध्यम से सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं जिससे पलायान पर भी अंकुश लगेगा। परियोजना के माईनिंग प्लान में प्राविधानित रोजगार के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर परियोजना के माध्यम से रोजगार में प्राथमिकता दें। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण को संरक्षित करते हुए वैज्ञानिक तरह से खनन कार्य करेगें। परियोजना प्रस्तावक खनन से पूर्व काश्तकारों से प्रतिवर्ष किराया अनुबन्ध कर लें ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। खनन समाप्ति उपरान्त एवं वर्षाकाल से पूर्व खनन गढ्ढों को भरा जाना पट्टाधारक का दायित्व है जिसको पट्टाधारक नजरअंदाज कर देते हैं जो कि मानवीय एवं जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं है। परियोजना में वृक्षारोपण हेतु जिस धनराशि का प्रयोजन किया गया है उसको धरातल पर उतारना पर्यावरण सलाहकार एवं पट्टाधारक का कार्य है जिसका पर्यवेक्षण किया जाना भी अनिवार्य है।

क्रमशः 5

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।